राजस्थान सरकार
वन विभाग

प03(20)वन / 2023 जयपुर, दिनांक :

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 38फ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश तथा विशेषज्ञ समिति से परामर्श उपरांत राज्य सरकार अनुसूची–I में वर्णित वन एवं राजस्व क्षेत्र (59964.060 है0) जिसकी सीमाएं अनुसूची–II के अनुसार है, को व्याघ्र संरक्षण के प्रयोजनार्थ रखे जाने के लिए क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) एतद्द्वारा घोषित करती है। उक्त क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र (Critical Tiger Habitat) को भविष्य में धौलपुर–करौली व्याघ्र आरक्षित (Dholpur- Karauli Tiger Reserve) के क्रांतिक व्याघ्र निवासी (Critical Tiger Habitat) क्षेत्र के रूप में जाना जावेगा।

धौलपुर–करौली व्याघ्र आरक्षित (Dholpur -Karauli Tiger Reserve)

अनुसूची–I

क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र–I (Critical Tiger Habitat-I) का विवरण

अधिसूचना क्रमांक 3 (20)वन / 2023 जयपुर, दिनांक 28.09.2023 के द्वारा अधिसूचित धौलपुर जिले में स्थित धौलपुर अभयारण्य का संपूर्ण क्षेत्र (20426.11 है0)।

क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र–II (Critical Tiger Habitat-II) का विवरण

धौलपुर एवं करौली जिले में राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य का विवरण

राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य के गुसाई घाट (करौली जिले में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व की सीमा) से कुदिन्ना रक्षित वनखण्ड के पूर्वी सीमा पर गांव गुढ़ा मुतावली, कुदिन्ना वनखण्ड व राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य के मिलान बिन्दु तक। इस क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र–II का विस्तार धौलपुर जिले में 4540 हैक्टेयर और करौली जिले में 6770 हैक्टेयर क्षेत्र मिलाकर कुल 11310.00 हैक्टेयर क्षेत्र होगा।

क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र–III (Critical Tiger Habitat-III) का विवरण

करौली जिले के कैलादेवी अभयारण्य के उस क्षेत्र में से जो रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में सम्मिलित नहीं है (29045.0 है0); वन क्षेत्र वीरमकी गुवाडी कम्पार्टमेन्ट 7 (275 है0), नीदर वनखण्ड कम्पार्टमेन्ट 10 (150 है0) व राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य के अतिच्छादित क्षेत्र (392 है0) को छोडते हुए। इस प्रकार क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र–III का (29045.0–275–150–392 =28227.95) कुल क्षेत्र 28227.95 हैक्टेयर क्षेत्र होगा जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

करौली जिले में वन्यजीव अभयारण्य कैलादेवी का वन क्षेत्र

क्र. सं.	वनखण्ड का नाम	वनमण्डल	वन भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (है0)
1.	**वीरमकी गुवाडी** (कंपार्टमेन्ट नं. 1 से 6, 8 से 10 व 13 से 26 का क्षेलफल)	उप वन संरक्षक (वन्यजीव) केलादेवी अभयारण्य, करौली	रक्षित	5766.984
2.	**नींदर**	उप वन संरक्षक	रक्षित	6225.076

Signature Not Verified
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.06 17:20:01 IST
Reason: Approved

	(कंपार्टमेन्ट नं. 1 से 9, व 11 से 31 का क्षेलफल)	(वन्यजीव) केलादेवी अभयारण्य, करौली		
3.	चिरमिल खोह कसेड	उप वन संरक्षक (वन्यजीव) केलादेवी अभयारण्य, करौली	रक्षित	13960.894
4.	**ककडदा** (कंम्पार्टमेन्ट नं. 29 से 32 का क्षेत्रफल)	उप वन संरक्षक (वन्यजीव) केलादेवी अभयारण्य, करौली	रक्षित	1150.00
5.	अलवत की गुवाडी	उप वन संरक्षक (वन्यजीव) केलादेवी अभयारण्य, करौली	रक्षित	1125.00
	कुल			**28227.9500**

धौलपुर –करौली क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र का विवरण (हैक्टेयर में)

क.स.	**विवरण**	**क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)**
1.	धौलपुर करौली क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र–I	20426.110
2.	धौलपुर करौली क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र–II	11310.00
3.	धौलपुर करौली क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र–III	28227.950
	कुल क्षेत्र	**59964.0659964.06**

नोटः उपरोक्त अनुसूची–I में वर्णित धौलपुर–करौली क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र– I,II और III का तथा इनके मध्य में पडने वाला राजस्व क्षेत्र अधिग्रहण/स्वैच्छिक विस्थापन पूर्ण होने तक क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र का भाग नहीं होगा।

अनुसूची–II

धौलपुर–करौली क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्र–I (Critical Tiger Habitat-I) के सीमा का विवरण

अधिसूचना क्रमांक. 3(20)वन/2023 दिनांक 28.09.2023 द्वारा अधिसूचित धौलपुर अभयारण्य का क्षेत्र।

धौलपुर करौली क्रांतिक व्याघ्र आरक्षिति क्षेत्र–II (Critical Tiger Habitat-II) के सीमा का विवरण

राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य का गुसाई घाट (करौली जिले में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व की सीमा) से कुदिन्ना रक्षित वनखण्ड, गांव गुढ़ा मुतावली व राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य के मिलान बिन्दु तक का राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य का क्षेत्र।

धौलपुर करौली क्रांतिक व्याघ्र आरक्षिति क्षेत्र–III (Critical Tiger Habitat-II) के सीमा का विवरण

जिला करौली के केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य का वह भाग जो रणथम्भौर टाईगर रिजर्व का भाग नहीं है में से वन क्षेत्र वीरमकी गुवाडी कम्पार्टमेन्ट 7 (275 है0), [illegible] 10 (150 है0) व राष्ट्रीय घडियाल अभयारण्य के अतिच्छादित क्षेत्र (392 है0) को छोड़ते हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.06 17:20:01 IST
Reason: Approved

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को REAMS के माध्यम से E- Gazzette में प्रकाशित करवाने का श्रम करावे।
9. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त..
11. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव ....
12. जिला कलक्टर, ...
13. उप वन संरक्षक, ...
14. संसदीय कार्य विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.06 17:20:01 IST
Reason: Approved